षोडश बिहार विधान सभा

दशम् सत्र

दैनिक विवरणिका

संख्या-04 बुधवार, दिनांक-25 जुलाई, 2018 ई० ।

माननीय अध्यक्ष, श्री विजय कुमार चौधरी की अध्यक्षता में सभा की कार्यवाही प्रारंभ हुई ।

समय : 09.00 बजे पूर्वाह्न से 11.17 बजे पूर्वाह्न तक

[1] सामान्य विमर्श :-

बिहार विधान सभा की प्रक्रिया एवं कार्य संचालन नियमावली के नियम-43 के तहत माननीय नेता विरोधी दल, श्री तेजस्वी प्रसाद यादव, माननीय सदस्य श्री जीतन राम माँझी, श्री सुदामा प्रसाद, श्री ललित कुमार यादव एवं श्री सदानंद सिंह से प्राप्त सूचना "राज्य में सूखाड़ के कारण उत्पन्न स्थिति" पर सदन में विमर्श हुआ जिसमें निम्नांकित माननीय सदस्यों ने अपना-अपना पक्ष रखा :-

(i) श्री तेजस्वी प्रसाद यादव, माननीय नेता विरोधी दल,
(ii) श्री मेवा लाल चौधरी

इस अवसर पर माननीय अध्यासी सदस्य श्री हरिनारायण सिंह ने आसन ग्रहण किया

(iii) श्री राघव शरण पाण्डेय
(iv) श्री रामदेव राय
(v) श्री अब्दुल बारी सिद्दिकी
(vi) श्री अशोक कुमार सिंह
(vii) श्री जीतन राम माँझी
(viii) श्री विनोद प्रसाद यादव

इस अवसर पर माननीय अध्यक्ष महोदय ने आसन ग्रहण किया

(ix) श्री सुदामा प्रसाद
(x) श्री ललन पासवान

सरकार के उत्तर के क्रम में माननीय प्रभारी मंत्री, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग श्री विनोद नारायण झा द्वारा सूखाड़ से निपटने के लिए विभाग की तैयारियों पर अपना वक्तव्य प्रस्तुत किया गया ।

माननीय प्रभारी मंत्री, आपदा प्रबंधन विभाग श्री दिनेश चन्द्र यादव द्वारा सूखाड़ से निपटने के लिए विभाग की तैयारियों पर अपना वक्तव्य प्रस्तुत किया गया ।

तत्पश्चात् माननीय कृषि मंत्री, श्री प्रेम कुमार द्वारा राज्य में सूखाड़ के कारण उत्पन्न स्थिति पर सरकार की ओर से विस्तारपूर्वक विभाग के कार्ययोजनाओं पर वक्तव्य प्रस्तुत किया गया ।

इस दौरान सरकार के वक्तव्य से असंतुष्ट होकर विपक्ष के माननीय सदस्यगण सदन से बहिर्गमन कर गये ।

[2] प्रश्नोत्तर काल :-

(*i*) 01 अल्पसूचित प्रश्न उत्तरित ।

(*ii*) 01 तारांकित प्रश्न उत्तरित ।

(*iii*) 01 तारांकित प्रश्न संख्या-166 अपृष्ट ।

(*iv*) 183 तारांकित प्रश्न अनागत ।

इस दौरान विपक्ष के माननीय सदस्यगण मुजफ्फरपुर बालिका गृह की घटना पर सी०बी०आई० से जाँच कराने की माँग को लेकर शोरगुल करते हुए वेल में आ गये ।

आसन द्वारा विपक्ष के माननीय सदस्यों से अपने-अपने स्थान पर जाकर अपनी बातों को कहने का अनुरोध किया गया ।

किन्तु शोरगुल जारी रहा ।

आसन द्वारा पुन: कहा गया कि जिस मुद्दे को वे उठा रहे हैं उसपर आपके द्वारा सदन का बहिर्गमन भी किया गया तथा सरकार का वक्तव्य भी हो गया है । अब इसके लिए सदन का समय बर्बाद क्यों किया जा रहा है । इसके लिए नियमावली में समय निर्धारित है । निर्धारित समय पर इसको उठाया जाय । अभी प्रश्नोत्तरकाल का समय है इसे चलने दें ।

किन्तु सदन में शान्ति कायम नहीं हो सकी और सभा की कार्यवाही भोजनावकाश तक के लिए स्थगित हुई ।

भोजनावकाश के बाद

(02.00 बजे अप० से 02.10 बजे अप० तक)

(इस अवसर पर माननीय अध्यक्ष महोदय ने आसन ग्रहण किया ।)

[3] बिहार विधान सभा की समिति का प्रतिवेदन :-

माननीय सभापति शून्यकाल समिति, श्री रामप्रीत पासवान द्वारा समिति का 92वाँ प्रतिवेदन की प्रति सभा पटल पर रखा गया ।

[4] वित्तीय कार्य :-

वित्तीय वर्ष 2018-19 के प्रथम अनुपूरक व्यय विवरणी में सम्मिलित अनुदान की मांग (ग्रामीण विकास विभाग) पर वाद-विवाद तथा मतदान :-

माननीय प्रभारी मंत्री ग्रामीण विकास विभाग, श्री श्रवण कुमार द्वारा ग्रामीण विकास विभाग से संबंधित अनुदान की मांग का प्रस्ताव सदन में प्रस्तुत किया गया ।

माननीय सदस्य श्री रामदेव राय का नाम अनुदान की मांग पर कटौती का प्रस्ताव प्रस्तुत करने हेतु आसन द्वारा पुकारा गया ।

किन्तु माननीय सदस्य द्वारा कटौती का प्रस्ताव प्रस्तुत नहीं किया गया ।

इस दौरान विपक्ष के माननीय सदस्यगण अपने विभिन्न मांगों को लेकर शोरगुल करते हुए वेल में आ गए ।

आसन द्वारा कहा गया कि विपक्ष के माननीय सदस्यगण अपने-अपने स्थान पर जाकर अपनी बातों को कहें ।

किन्तु सदन में शान्ति कायम नहीं हो सकी और सभा की कार्यवाही 04:45 बजे अपराह्न तक के लिए स्थगित हुई ।

स्थगनोपरान्त

(04.45 बजे अप० से 05.36 बजे अप० तक)

(इस अवसर पर माननीय अध्यक्ष महोदय ने आसन ग्रहण किया ।)

माननीय प्रभारी मंत्री, ग्रामीण विकास विभाग श्री श्रवण कुमार द्वारा वाद-विवाद का सरकार की ओर से उत्तर दिया गया ।

सरकार के उत्तर से असंतुष्ट होकर विपक्ष के माननीय सदस्यगण सदन से बहिर्गमन कर गए ।

तत्पश्चात् ग्रामीण विकास विभाग से संबंधित अनुदान की मांग का मूल प्रस्ताव सदन से स्वीकृत हुआ ।

तदोपरान्त् वर्ष 2018-19 का प्रथम अनुपूरक व्यय विवरणी में सम्मिलित शेष अनुदान की मांगे बारी-बारी से गिलोटीन (मुखबंध) द्वारा सदन से स्वीकृत हुआ ।

[5] विधायी कार्य :- राजकीय विधेयक :-

''बिहार विनियोग (संख्या-3) विधेयक, 2018'' :-

माननीय प्रभारी मंत्री, वित्त विभाग श्री सुशील कुमार मोदी द्वारा सदन की सहमति से विधेयक सदन में पुर:स्थापित हुआ और विधेयक पर विचार का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया ।

विचार के प्रस्ताव की स्वीकृति के उपरांत खंडश: विचार के क्रम में सभी खंड बारी-बारी से विधेयक के अंग बने ।

माननीय प्रभारी मंत्री द्वारा विधेयक के स्वीकृति का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया एवं सरकार की कार्ययोजनाओं के संबंध में विस्तारपूर्वक वक्तव्य प्रस्तुत किया गया ।

तत्पश्चात् "बिहार विनियोग (संख्या-3) विधेयक, 2018" सदन द्वारा ध्वनिमत से स्वीकृत हुआ ।

[6] आसन की घोषणा :-

आसन द्वारा निदेश दिया गया कि दिनांक 24.07.2018 को कॉंग्रेस के महिला माननीय सदस्यों के साथ पटना स्थित धरना प्रदर्शन स्थल पर घटित घटना के संबंध में यदि सरकार का वक्तव्य हो तो उसे सदन में रखा जाय ।

तत्पश्चात् माननीय प्रभारी मंत्री, सामान्य प्रशासन विभाग श्री बिजेन्द्र प्रसाद यादव द्वारा घटना के संबंध में सरकार की ओर से वक्तव्य दिया गया ।

[7] निवेदन :-

आसन द्वारा घोषणा की गई कि आज के लिए स्वीकृत कुल-53 निवेदनों को सदन की सहमति से संबंधित विभागों को भेज दिए जायेंगे ।

तत्पश्चात् सभा की बैठक वृहस्पतिवार, दिनांक 26 जुलाई, 2018 को 11.00 बजे पूर्वा० तक के लिए स्थगित हुई ।

पटना
दिनांक-25.07.2018

राजीव कुमार
प्रभारी सचिव,
बिहार विधान सभा, पटना ।